उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

राज्यसात वाद संख्या – 02/2018

राज्य बनाम् बिहारी साव

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
02-01-2019	—:: आदेश ::—	

जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रामगढ़ के पत्रांक 116/आ0 दिनांक 06.02. 2018 द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6A के अंतर्गत जब्त किरासन तेल को राज्यसात की कार्रवाई हेतु अनुशंसा प्राप्त हुआ है। उक्त अनुशंसा के आलोक में विधिवत वाद की कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए, विपक्षी को अपना पक्ष/दावा–दस्तावेज रखने हेतु सूचना निर्गत किया गया। नोटिस तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। विपक्षी लगातार कई तिथियों से अनुपस्थित चले आ रहे है। फलतः अभिलेख में संलग्न कागजातों के आधार पर आदेश पारित किया जा रहा है।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रामगढ़ से प्राप्त अनुशंसा पत्र, पणण पदाधिकारी, माण्डू द्वारा दिनांक 30.12.2017 को कुजू ओ0पी0 थाना– माण्डू में प्राथमिकि दर्ज करने से संबंधित प्रतिवेदन एवं जब्ती सूची का अवलोकन किया।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रामगढ़ से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में ट्रांसपोर्ट नगर वन विभाग, पार्किंग एरिया, कुजू स्थित एम्बेस्टस सीट से बने मकान में औचक छापामारी के दौरान पाये गये कुल जमा 9235 (नौ हजार दो सौ पैंतीस) लीटर अवैध संचित ब्लू किरासन तेल **के साथ अन्य सामान बरामद किया गया है, आवश्यक वस्तु अधिनियम की सुसंगत धारा अन्तर्गत राज्यसात किया जाता है।** आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रामगढ़ को भेजे। इसी आदेश के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

02/01/19

उपायुक्त,
रामगढ़।

02/1/19

उपायुक्त,
रामगढ़।

Scanned by CamScanner